न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस

अपील संख्या 99/2018

रामकुमार पुत्र पतराम जाति बिश्नोई निवासी 2पी (ए) ढ़ाणी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. सतपाल पुत्र पतराम जाति बिश्नोई निवासी 2 पी (ए) ढाणी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ दिनांक 01.06.2018

उपस्थिति :–

श्री भरतकुमार अभिभाषक अपीलार्थी

श्री संतकुमार बिश्नोई अभिभाषक रेस्पो0

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः 10/1/19

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 ने एक प्रा.पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 251क के तहत पेश कर प्रार्थी को अपनी भूमि चक 2 पी. के मु.नं. 20 प.नं. 199/51 के कि. नं. 1 से 3 में आने जाने हेतु अप्रार्थी की इसी मुरब्बा की भूमि के कि.नं. 4, 5 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का पेश किया। प्रा.पत्र का जबाब पेश करते हुए अप्रार्थी सं. 1 ने कथन किया कि प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि में से आता–जाता नहीं है बल्कि अन्य चिपते काश्तकारों की भूमि से होते हुए आता–जाता है। प्रार्थी को अपनी भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। अतः निवेदन है कि प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प रायसिंहनगर

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 01.06.2018 को प्रा.पत्र स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये एवं रास्ता में आई भूमि के बदले में डी.एल.सी. की दुगुणी राशि अप्रार्थी को दिलाये जाने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के नाम से मात्र 3 बीघा भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थी के अलावा उक्त मुरब्बा में अन्य काश्तकार भी हैं जिसमें से रास्ता स्वीकृत किये जाने का विकल्प था। प्रार्थी की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की स्थिति में प्रार्थी की भूमि कम हो जाएगी। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में कि.नं. 4, 5 में रास्ता चालू होने के तथ्य दर्ज नहीं किये हैं। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के रास्ता स्वीकृत किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों. को अपनी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में भी अन्य कोई रास्ता नहीं बताया है इसके अलावा डी.एल.सी. की दुगुणी राशि दिलाये जाने के अधी.न्यायालय ने आदेश दिये हैं। रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने को दृष्टिगत रखते हुए अधी. न्यायालय ने रास्ता स्वीकृत करने का जो आदेश दिया है, वह उचित होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली पर तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध नजरी नक्शा के अनुसार भी प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने हेतु कोई अन्य रास्ता नहीं पाया जाता है। अपीलांट ने अधी. न्यायालय में एवं इस न्यायालय में कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिसके अनुसार रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध हो। इसके अलावा रास्ता के बदले में डी.एल.सी. की

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प रायसिंहनगर

दुगुणी राशि दिलाये जाने के आदेश अधी. न्यायालय ने दिये हैं। अधी. न्यायालय ने रास्ता की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए रास्ता स्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10/1/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर